राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी -- जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर -- 122/2020

कौशल्या पत्नी जयसिंह उम्र 38 वर्ष जाति जाट निवासी मेहाड़ा जाटूवास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........वादिया

ब–ना–म

1. कन्हैयालाल पुत्र लादूराम उम्र 80 वर्ष
2. सुभाष चन्द पुत्र लादूराम उम्र 75 वर्ष समस्त जाति जाट निवासी मेहाड़ा जाटूवास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
3. इण्डियन ओवरसीज बैंक शाखा मेहाड़ा जाटूवास तहसील खेतड़ी जरिये शाखा प्रबंधक।
4. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

.........प्रतिवादीगण

दावा– खाता विभाजन

अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट 1955

–:निर्णय :– **दिनांक 13–07–2022**

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18–04–2022 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित किया गया कि ग्राम मेहाड़ा जाटूवास तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खाता संख्या 317 खसरा नंबर 1282/856, 1289/1124, 1292/36, 243, 263, 267, 321, 348, 497, 767, 82, 859, 861, 922, 959 कुल किता 15 कुल रकबा 4.35 है. में वादिया का 2/29 हिस्से की भूमि का खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 6.11.2004 [illegible] नजर रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र भिजवाने हेतु [illegible] जारी की गई। तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी ने अपने पत्र क्रमांक: भू.अ./2[illegible]/1790 दिनांक [illegible]2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 12:02:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादिया की विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता वादिया ने तहसीलदार, खेतडी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 23–05–2022 के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 23–05–2022 (प्रदर्श–"अ–1 लगा. अ–5") का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादिया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 23–05–2022 (प्रदर्श–"अ–1 लगा. अ–5") के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादिया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 23–05–2022 (प्रदर्श–"अ–1 लगा. अ–5") के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 23–05–2022 (प्रदर्श–"अ–1 लगा. अ–5") इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13–07–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 12:02:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner